राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
Rajasthan Staff Selection Board
Agriculture Campus, Durgapura, Jaipur, Rajasthan, 302018

क्रमांकः प.14(117)RSSB/अर्थना/विविध/2023/ दिनांकः यथाहस्ताक्षर

–:: प्रेस विज्ञप्ति ::–

बोर्ड द्वारा आगामी आयोजित परीक्षाओं में किये जाने वाले बदलाव के संबंध में।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन, ऑनलाईन आवेदन में निम्न संशोधन किये जा रहे हैं जो इस सूचना के प्रकाशन के पश्चात आयोजित होने वाली बोर्ड की समस्त भर्ती परीक्षाओं पर लागू होंगे :–

(i) Editing- बोर्ड द्वारा जिन पदों के लिये ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाए जावेंगे उनमें Editing की सुविधा दो बार यथा ऑनलाईन आवेदन भरे जाने के दौरान एवं परीक्षा से लगभग 1 माह पूर्व 7 दिन के लिये प्रदान की जायेगी। इस Editing के समय वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) में दर्ज सूचनाएँ नाम, पिता का नाम व जन्मतिथि में संशोधन अनुमत नहीं होगा।

(ii) अभ्यर्थियों द्वारा एडिटिंग की निर्धारित अवधि में जो भी संशोधन किया जायेगा उसका पूरा विवरण (soft data) बोर्ड के पास form के साथ उपलब्ध रहेगा। संदेह होने पर आवश्यक जाँच की जाकर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी।

(iii) Online form withdrawl- ऑनलाईन आवेदन करने के बाद किसी भी कारण से यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहारित करना चाहता हो तो, उसे परीक्षा से लगभग एक माह पूर्व 3 दिन की अवधि के लिये अवसर प्रदान किया जाएगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन के समय शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के दस्तावेज अपलोड किये जाने आवश्यक हैं। यदि आवेदक द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंकतालिका या डिग्री या डिप्लोमा के प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंकतालिका अपलोड की जानी है। यदि संबंधित पाठयक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद एवं यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है कि वह परीक्षा तिथि से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों में यदि कोई प्रविष्टी अस्पष्ट अथवा पढने योग्य नहीं पायी गई तो अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा सकेगी एवं अभ्यर्थी को साक्ष्य छुपाने का दोषी माना जा सकता है।

(v) अभ्यर्थी द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन एवं प्रवेश पत्र में प्रविष्टियों की सूचना आवेदन में अंकित ई–मेल/WhatsApp नंबर पर भेजी जायेगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन में अंकित समस्त प्रविष्टियों की जाँच कर निर्धारित अवधि में ही आवश्यक संशोधन कर सकेगा। परीक्षा आयोजन के बाद किसी भी प्रकार से प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

(vi) बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजन होने के पश्चात आवेदन Form में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.03.12 17:31:52 IST
Reason: Approved

(vii) ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही आगामी परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से भी नियमानुसार पैनल्टी लिये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके संदर्भ में विस्तृत सूचना पृथक से दी जावेगी।

(viii) परीक्षा केन्द्रों पर Bio Matric/Face Scaning/ CCTV Camera इत्यादि द्वारा परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों पर निगरानी रखी जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों का Bio Matric record दस्तावेज सत्यापन व Joining के समय संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी का सत्यापन एवं पुनः जांच की जा सके।

(ix) बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं में प्रत्येक अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन को आधार कार्ड से से लिंक करना अनिवार्य होगा। अब परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले biometrics/iris scan/face scan के साथ–साथ आधार authentication भी किया जायेगा।

(x) यदि आधार कार्ड में कोई संशोधन करवाना है तो पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवाकर ही आवेदन करें अन्यथा आगामी परीक्षाओं में आवेदन नहीं कर पायेंगे। जिन परीक्षाओं में ऑनलाईन आवेदन का आधार से लिंक अनिवार्य किया जावेगा उन परीक्षाओं में प्रवेश आधार कार्ड के प्रमाणीकरण के पश्चात ही दिया जावेगा।

(xi) बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं में प्रवेश पत्र पर वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) के समय अपलोड की गई लाइव फोटो व आवेदन पत्र में अपलोड की गई लाईव फोटो प्रिंट रहेगी। दोनों फोटो का अभ्यर्थी के चेहरे से मिलान होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जावेगा।

(xii) यदि अभ्यर्थी किसी Horizontal Category जैसे PH/sports इत्यादि में आवेदन करता है तो उसे केवल उसी Category में माना जायेगा। यदि वो स्वयं द्वारा भरी गयी Category में अपात्र पाया जाता है तो उसे उसकी मूल Category जैसे General/SC/ST/OBC/MBC/EWS में प्रमाण पत्र की संबंधित विभाग द्वारा जांच के पश्चात ही अन्यथा पात्र किया जावेगा।

(xiii)यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे कोई Documents प्रस्तुत करता है जो कि उसके द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय भरी गई सूचनाओं/upload किए गए दस्तावेजों से mismatch होता है या उनके अतिरिक्त/भिन्न पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया जाएगा और नियमानुसार Debar करने की प्रक्रिया की जायेगी। अतः अभ्यर्थी अपना ऑनलाईन आवेदन ध्यानपूर्वक भरें।

(डॉ. बी.सी. बधाल)
सचिव

क्रमांकः प.14(117)*RSSB*/अर्थना/विविध/2023/ **दिनांक**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. प्रभारी अधिकारी IT-Cell को उक्त विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित कर लेख है कि इसे बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
2. प्रभारी अधिकारी परीक्षा अनुभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।

सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.03.12 17:31:52 IST
Reason: Approved